करते हैं, क्या यह सच नहीं है कि उन में से कुछ के नाम इस सूची में से निकाल दिये गये हैं? ऐसा ही एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया था। निजाम के जमाने में श्री कृष्ण लाल सिंह ठाकुर बीदर के पांच साल जेल में रहे। उनको पिछली 15 अगस्त को ताम्र पत्र भी मिलने वाला था उस सूची में उनका नाम था किंतु कुछ कांग्रेस जनों के कहने की वजह से वह रुकवा दिया गया। अब दूसरा 15 अगस्त आ गया है और उनका मामला लटका हुआ है। ऐसा पक्ष पात जो होता है तथा जो लोग दूसरे राजनीतिक दलों में काम करते हैं उनकी एप्लीकेशन की जांच करने के लिए आप के पास कौन सी मशीनरी है क्या प्रान्तीय सरकारों के बलबूते पर ही आप रहेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने अभी कहा कि कुछ संसद सदस्यों को भी पेंशन दी है। यह सही नहीं है। इस वक्त उनकी आमदनी ज्यादा हो जाती है, इसलिये नहीं दी है ।

श्री रामावतार शास्त्री: बिहार के एक संसद सदस्य को दी है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: बता दीजिये रोक देंगे ।

इस सम्बन्ध में कोई पक्षपात का सवाल नहीं उठता है। अगर किसी केस में गलती हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है । मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पूरे कागजात दिये थे या नहीं मैंने बताया है कि अगर केन्द्रीय सरकार को पूरे कागजात मिल जाते हैं तो प्रान्तीय सरकार से पूछ कर पेंशन वह नहीं देती है बल्कि पहले अपने आप प्राविजनल पेंशन सैंकशन कर देते हैं इसलिए प्रान्तीय सरकार को पूछने का प्रश्न नहीं उठता है , उसकी बखलंदाजी का प्रश्न नहीं उठता । इसलिए आप का शक मुबह बेकार है ।

श्री जयलाल राम शास्त्री: आठ महीने हो गए है मैंने पत्र लिखा है लेकिन उत्तर नहीं आया ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जवाब देंगे आपको ।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन में वृद्धि

†245. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से 'अधिक उत्पादन करो अधिक खपत करो' के आधार पर बनाई गई श्रमिकों के लिए कोई योजना सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भेजी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a). No such scheme has been formulated by the Planning Commission.

(b). Does not arise.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय: अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में मैंने यह प्रश्न किया था करो उसमें कहा गया था : "अधिकाधिक उत्पादन करो अधिकाधिक प्राप्त करो" लेकिन उसके भाव और भाषण को बदल कर "अधिक उत्पादन करो अधिक खपत करो" कर दिया गया है। इस परिवर्तन के प्रश्न पर उत्तर में कहा गया है कि कोई तैयार स्कीम नहीं की गई है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न तो दूसरा था। उस को कैसे बदल दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न तो सेक्रेटेरियट से ही आते हैं ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मेरा मूल प्रश्न इस बारे में था कि "अधिकाधिक उत्पादन करो, अधिकाधिक प्राप्त करो –प्रोड्यूस मोर एंड रिसीव मोर," अर्थात् अगर श्रमिक अधिकाधिक उत्पादन करें, तो उस को अधिकाधिक लाभ होगा ? ।

अध्यक्ष महोदय : यह भी ठीक है। माननीय सदस्य इसके बारे मे सवाल करे ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय: मै यह जानना चाहता हू कि क्या कोई ऐसी योजना तैयार की गई है कि श्रमिक कारखानो मैं अधिक काम कर सके और अधिक प्राप्त कर सके और क्या ऐसी योजना सरकारी प्रतिष्ठानो को भेजी गई हैं या नही ।

SHRI MOHAN DHARIA: I have already said that we have not prepared any scheme of that type. Only in the document, the approach paper for the fifth five year Plan we have indicated that more and more productive efforts will have to be made and the wages will have to be linked up in that direction.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय. अगर ऐसी को योजना तैयार नही की गई है, तो क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि श्रमिक अधिकाधिक कार्य करे और अधिक-अधिक प्राप्त करे, क्योंकि एसी योजना हो सकती है और इस पर विचार भी हुआ है?

SHRI MOHAN DHARIA: As I said, in the approach document of the fifth five year Plan we have indicated that, and we are considering this matter with the State Governments and the Central Ministries.

SHRI K. LAKKAPPA: Mr. Speaker, Sir, to make the public undertakings concerned to run more effectively and to produce more, is there any new line of thinking to disciplire these public undertakings by the Planning Commission and, if so, what are the outlines of the new thinking to discipline such public undertakings to produce more?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI D. P. DHAR): I may submit that this supplementary seems to have arisen out of a non-existent reply to a non-existent question. I would be very grateful if I am permitted some notice to answer this question.

SHRI K. LAKKAPPA: I did not follow it. (*Interruption*) I would like the hon. Minister to repeat it.

MR. SPEAKER: Order, order. Please sit down. He says that to a non-existent question the supplementaries would also be non-existent!

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, it is about production.

MR. SPEAKER: That is all right; we pass on to the next question.

SHRI K LAKKAPPA: Sir, it is about the increase in industrial establishments My supplementary question is, is there any new line of thinking to discipline these public undertakings and managements to produce more. Therefore, is there any new line of thinking in the Planning Commission and, if so, what are they? That is what I have put. It is very relevant.

MR. SPEAKER: The main question was, "whether any scheme for labourers framed on 'produce more, consume more' basis has been sent.." etc. Dr. Pandeya says,, "produce more and receive more." On that basis there was no reply. He said they can consider everything.

SHRI K. LAKKAPPA: More production depends on the management and so discipline is to be instilled by the Planning Commission.

MR. SPEAKER: I did not mean that.

SHRI K. LAKKAPPA: The headline is like that: "Increase in production in industrial establishments."

MR. SPEAKER: Do not put more supplementaries now! Now, Shri Ramavatar Shastri.

इंदौर मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे

*246. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जुलाई, 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दंगों के क्या कारण थे ;

(ग) दंगों के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये और सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई, और

(घ) सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (घ) : मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इन्दौर शहर में 7 जुलाई, 1973 को एक घटना को लेकर, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा जो उसकी जाति के नहीं थे मामूली चोटें पहुंचाई गई थीं, तनाव उत्पन्न हुआ। तुरन्त कर्फ्यू लगाने और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन एतियात के तौर पर गिरफ्तारियां करने समेत स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय पर की गई कार्यवाही से स्थिति बिगड़ने से रुक गई। न तो किसी जान का नुकसान हुआ और न सम्पत्ति की ही कोई उल्लेखनीय हानि हुई। घटना के सिलसिले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि 7 जुलाई को इन्दौर में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ, उस के कारण क्या थे और जिन लोगों पर सरकार मुकदमा चला रही है, वे लोग कौन है ? मंत्री महोदय उन लोगो का हुलिया या परिचय बताये। क्या वे राजनैतिक दलों से संबंधित हैं या आज़ाद खयाल के हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : राज्य सरकार के विचार में यह घटना एक साम्प्रदायिक घटना नहीं मानी जानी चाहिए कुछ व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हुआ और वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने बहुत तत्परता से कार्यवाही की और उस की वजह से यह मामला आगे नहीं बढ़ा सका। इसलिए इस घटना को, जिस के आधार पर कार्यवाही की जा रही है और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, एक साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से न देखा जाये। जहां तक माननीय सदस्य से इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि किन किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, इस सम्बन्ध में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन दोनों साम्प्रदायों के लोगों पर मुकदमे चलाये गये। धारा 144 लगाने के बाद जो गिरफ्तारियां हुई उन में भी सब तरह के लोग थे और ऐसी बात प्रतीत नहीं होती है कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की गई थी।

श्री रामावतार शास्त्री: पिछले कुछ दिनों से साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें बढ़ती जा रही है और सरकार मौजदा दंड संहिता से दंगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इस पृष्ठभूमि में कोई सख्त कानून बनाने का विचार रखती है। देश में